राजस्थान सरकार

निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाऐं

क्रमांकः एफ.5 ()लेखा/ आ.का.को./आईसीडीएस /2020/77118-422 जयपुर, दिनांकः 13/5/2022

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएं,
समस्त ।

विषयः—सामूहिक बचत एवं बीमा योजनान्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को देय क्लेम का भुगतान करवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हे की विभाग द्वारा वर्ष 2006 में मानदेय कर्मियों को सामुहिक बचत के साथ साथ बीमा सुरक्षा का लाभ प्रदान करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से सामूहिक बचत एवं बीमा योजना (GSLI) लागु की गयी थी, जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा जीवन बीमा निगम को अर्द्वार्शिक अंशदान दिया जा रहा हे । सामूहिक बचत एवं बीमा योजनान्तर्गत जीवन बीमा निगम द्वारा मानदेय कर्मियों को मृत्यू होने की दशा में नामित को राशि रू 10000 एंव बचत राशी का मय ब्याज तथा योजना से विमुक्त /सेवानिवृत की स्थिति में बचत राशि मय ब्याज का भुगतान जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है ।

निदेशालय स्तर पर सामूहिक बचत एवं बीमा योजनान्तर्गत मानदेय कर्मियों को देय क्लेम का भुगतान समय पर नहीं किये जाने की शिकायते प्राप्त हो रही है । अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय से संपर्क कर सेवा से विमुक्त /सेवानिवृत होने की स्थिति में एवं मृत्यू होने की दशा में नामित को उक्त योजनान्तर्गत देय राशि का भुगतान अविलम्ब करवाया जाना सुनिश्चित करे ।

12.5.2022

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ.5 ()लेखा/आ.का.को./आईसीडीएस /2020/77423-54 जयपुर, दिनांक 13/5/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त ।

वित्तीय सलाहकार
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर